



उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी- ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून- 248001.

दूरभाष :- 0135-2676260, फैंक्स :- 0135-2676177,

पत्रांक 4396 / वि0अनु0/02/शा0अनु0 578/2024-25 दिनांक : 24/10/2024

अधिशासी अभियन्ता,

उत्तराखण्ड जल संस्थान,

(उत्तर)देहरादून/अनु0खण्ड देहरादून/पौड़ी/कोटद्वार

चमोली/कर्णप्रयाग/रुद्रप्रयाग/टिहरी/देवप्रयाग/घनसाली

उत्तरकाशी/पुरोला/नैनीताल/रामनगर/अल्मोड़ा/रानीखेत

पिथौरागढ़/डीडीहाट/चम्पावत/बागेश्वर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु एस.डी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत धनाबंटन के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-578/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024E-20522 आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 15 जून, 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से ₹ 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में ₹ 1032.84 लाख व्यय किये जा चुके हैं। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत अप्रैजल अनुभाग द्वारा संकलित मांग के सापेक्ष आपको निम्नांकित अनुसार धनाबंटन किया जा रहा है:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	शाखा का नाम	क्षति ग्रस्त योजना की संख्या	अनुरक्षित संस्था		योजना का प्रकार		योजना के मरम्मत हेतु 578/VIII-B-1/2024-12(4)E20522 Dt. 15.06.2024 से मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि		
			जल संस्थान	ग्राम सभा	नगरीय	ग्रामीण	अस्थायी चालू करने पर व्यय धनराशि	स्थायी चालू करने हेतु धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौड़ी	14	13	1	1	13	4.55	48.74	53.29
2	कोटद्वार	13	13	0	0	13	4.25	26.14	30.39
3	चमोली	23	19	4	5	18	5.10	39.06	44.16
4	कर्णप्रयाग	16	16	0	3	13	3.45	28.55	32.00
5	रुद्रप्रयाग	21	18	3	2	19	5.31	36.44	41.75
6	नई टिहरी	12	9	3	0	12	1.20	21.80	23.00
7	देवप्रयाग	17	17	0	2	15	3.12	41.12	44.24
8	घनसाली	23	23	0	0	23	6.27	63.13	69.40
9	उत्तरकाशी	18	18	0	1	17	1.80	28.85	30.65
10	पुरोला	32	14	18	0	32	3.80	56.89	60.69
11	अनु०खण्ड, देहरादून	104	100	4	0	104	39.17	194.80	233.97
12	उत्तर,	1	1	0	1	0	0.00	10.81	10.81
13	नैनीताल	11	11	0	1	10	1.66	20.26	21.92
14	रामनगर	18	18	0	0	18	1.80	28.70	30.50
15	अल्मोड़ा	22	21	1	7	15	2.09	41.17	43.26
16	रानीखेत	12	12	0	0	12	3.10	20.90	24.00
17	पिथौरागढ़	11	11	0	4	7	0.00	20.50	20.50
18	डीडीहाट	42	42	0	0	42	7.16	72.09	79.25
19	चम्पावत	38	33	5	3	35	16.13	37.25	53.38
20	बागेश्वर	10	10	0	4	6	0.00	20.00	20.00
कुल योग :-		458	419	39	34	424	109.96	857.20	967.16

अतः उक्त तालिका के कॉलम संख्या: 2 में अंकित शाखाओं को उसके सम्मुख कॉलम 10 में शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में अंकित धनराशि इस कार्यालय के पत्र संख्या: 4366/लेखा भुगतान/2024-25 दिनांक 24.10.2024 से RTGS के माध्यम से वर्णित निम्नलिखित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं एस0डी0आर0एफ0 की गाईड लाईन के अनुरूप अक्षरशः अनुपालन करते हुए कार्यों के सम्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी है।

शर्तें व प्रतिबन्ध:-

- 1) उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020- NDM-I(Vol-II) दिनांक 10.10.2022 एवं पत्र संख्या-33-03/2020-NDM-I दिनांक 11.07.2023 में निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 2) क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं हेतु रु0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए अनुमन्य है तथा किसी क्षतिग्रस्त योजना पर आधिक्य धनराशि व्यय होने की दशा में वह धनराशि संबंधित प्रशासकीय विभाग के विभागीय बजट से वहन की जायेगी।
- 3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वहीं कार्य अनुमन्य होंगे, जो DLP में नहीं है।
- 4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं पर कार्य किया जाना आवश्यक हो, की स्वीकृति शासनादेश संख्या: 176 दिनांक 15 फरवरी, 2024 के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति से अनिवार्य रूप से ली जाय।
- 5) यदि अपरिहार्य परिस्थिति वश किसी योजना को तात्कालिक रूप से सम्पादित कराया जाना आवश्यक हो तो ऐसी योजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति भी उल्लिखित समिति से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।
- 6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	खण्ड विकास कार्यालय का नाम	ग्राम/स्थान का नाम	जियोटैग फोटोग्राफ	लागत
---------	-------------	--------------	----------------------------	--------------------	-------------------	------

- 7) वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते है। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 8) आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिये किया जायेगा, जो N.D.R.F/S.D.R.F के दिशा निर्देशों में अनुमन्य है।
- 9) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान विभाग के कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10) कराये गये कार्यों की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंभव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 11) स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि मुख्यालय को वापस कर दी जाए ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित की जा सके।
- 12) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी एवं समक्ष स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
- 14) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत कार्ययोजना हेतु धनाबंटन में दोहराव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, यदि दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो तो यथाशीघ्र विभागीय बजट को समर्पित कर दिया जाए। किसी भी दोहराव की स्थिति हेतु शाखाधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 15) शासनादेश के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी/शाखाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप एफ.आई.आर. (FIR) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17) यदि इन योजनाओं में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी से धनराशि अवमुक्त की गई है और वह योजना इन प्रस्तावों में भी है तो दोहरा धन का आहरण नहीं किया जायेगा। इसका समस्त उत्तदायित्व शाखाधिकारी का ही माना जायेगा।

18) जल संस्थान इनके कार्यों का नोडल है, इसलिए पेयजल निगम के प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए उनके द्वारा कार्य किया जायेगा।

19) कोई नया कार्य इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।

20) केन्द्रीय भण्डार देहरादून/हल्द्वानी द्वारा दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत आपकी शाखा को सामग्री उपलब्ध करा दी गयी है। तदनुसार सामग्री की धनराशि संबंधित केन्द्रीय भण्डारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शासनादेश में वर्णित एवं उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया व्यय उपरान्त उपयोगिता महाप्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- 1. शासनादेश की छायाप्रति, 2. SDRF मद की गार्ड लाईन
3. शाखाओं की मांग के अनुरूप योजनाओं की सूची
ई-मेल से प्रेषित कर दी गयी है।

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमाँयु मण्डल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/चमोली/रुद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/नैनीताल/अल्मोड़ा
पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर।
6. वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून(मु.)/टी.आर.एम.) पौड़ी/नैनीताल/
पिथौरागढ़।
8. सचिव प्रशासन/अप्रैजल, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (नगर/ग्रामीण) देहरादून/टिहरी/पौड़ी/
चमोली/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, केन्द्रीय भण्डार, देहरादून/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शाखाओं से आबंटित सामग्री के सापेक्ष धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

मुख्य महाप्रबन्धक